संलग्नक – VIII

0962367 2 हिमाचल सरकार का न्यायियिक पत्र
0
0
0

5.11 <u>जल का प्रवाह सुनिश्चित करना</u>

कम्पनी, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पर्यावरणीय अनुमोदन में विनिर्दिष्ट निचली धारा की आवश्यकताओं के लिए वियर/बैराज/बांध के तत्काल निचली धारा के जल का या सरकार/ राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित न्यूनतम प्रवाह को सुनिश्चित करेगी।

5.16 <u>स्टाफ की भर्ती</u>

5.16.1 कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि बशर्ते उपलब्धता एवं उयुक्तता होने पर परियोजना के कार्यान्वियन के लिए अपेक्षित होने पर सभी अकुशल/कुशल स्टाफ तथा गैर–कार्यपालकों कम्पनी/एल एन जे भीलवाड़ा ग्रुप कम्पनियां (मलाना पावर कम्पनी लि0, एच ई जी लि0, मराल ओवरसीज़ लि0, भीलवाड़ा स्पिनर्स लि0, भीलवाड़ा निटवियर लि0, भीलवाड़ा मालबा लि0, भीलवाड़ा इन्फोटेक लि0), जो कि हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, के अन्य परियोजनाओं से फालतू कामगरों को लगाने के बाद, शिमला में केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। जब कभी केन्द्रीय रोजगार एकक, जिसे अनुबन्ध की इस धारा के प्रावधानों के अनुक्रम में रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है, इस प्रकार अधिसूचित किए गए पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को, अनुरोध प्राप्त होने के चार सप्ताहों के अन्दर प्रायोजित करने में असफल होता है तो कम्पनी भर्ती के अन्य तरीकों को अपना सकती है।

5.16.2 कार्यपालकों के रोजगार के लिए, कम्पनी को हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को वरीयता देनी चाहिए बशर्ते वह अपेक्षित योग्यताएं एंव अनुभव पूरा करते हों।

5.16.3 कम्पनी को परियोजना के निमार्ण के दौरान जैसाकि पुनर्वास योजना में उपर संदर्भित धारा 4.6 तथा 5.3 में बताया गया है, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप प्रत्येक विस्थापित परिवार या प्रतिकूल प्रभावी के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए।